न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 73/2019

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
किरण पत्नि श्री प्रकाश, जाति माली, निवासी भदवासिया, तहसील व जिला जोधपुर ।		01. सोहनी पत्नि दीपारामजी, जाति जाट, निवासी ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 02. जगदीशसिंह पुत्र श्री मोहबतसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी ग्राम नन्दवान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 03. मूलाराम पुत्र श्री मोहनलाल, जाति दर्जी, निवासी ग्राम नन्दवान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 04. कसुम्बीदेवी पत्नि मदनलाल गहलोत, जाति माली, निवासी ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 05. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी । प्रफोर्मा पक्षकार 06. बबीता देवी पत्नि सत्यदेवसिंह, जाति राजपूत, निवासी दुबवलिया, गोपालगंज । 07. भंजयराम पुत्र श्री राधोराम, जाति राजबंसी, निवासी भोजपुर । 08. लीला पत्नि शेराराम, जाति जाट, निवासी के.के. कोलोनी, जोधपुर । 09. प्रियंका शर्मा पत्नि श्री भगवान सहाय, जाति ब्राहम्ण, निवासी जनता कॉलोनी, जोधपुर । 10. सर्तेंदरसिंह पुत्र श्री रंगलालसिंह, जाति राजपूत, निवासी बिहार । 11. कृष्णासिंह पुत्र श्री रामनरेशसिंह, जाति राजपुत, निवासी सिवाना बिहार । 12. संजय यादव पुत्र श्री शिशंकर, जाति यादव, निवासी बासनी सेकण्ड फेज, जोधपुर । 13. रीतादेवी पत्नि श्री भरत यादव, जाति यादव, निवासी बासनी सेकण्ड फेज, जोधपुर ।

दावा वास्ते बंटवाड़ा अर्न्तगत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः–

01. वादीनी की और से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा ।
02. प्रतिवादीगण अनुपस्थिति होने से एकपक्षीय ।

आदेश

दिनांक :– 26/2/2021

पत्रावली आज पेश हुई । प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या एक से चार व छः से 13 की सहखातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 388/1 कुल रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा आयी हुई स्थित हैं । उक्त कृषि

...एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

भूमि में वादीनी का हिस्सा रकबा 02 बीघा हैं एवं वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या एक का उक्त खसरें में 2/3 हिस्सा हैं । वादीनी का उक्त खसरें में 02 बीघा रकबा हैं एवं शेष 2/3 हिस्से में जो भूमि हैं वह प्रतिवादीनी संख्या एक के हिस्से की हैं । इसी प्रकार से शेष प्रतिवादगण संख्या दो से चार एवं छः से तेरह का उक्त भूमि खसरा संख्या 388/1 में 1/3 हिस्सा हैं । उक्त कृषि भूमि वादीनी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सहखातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि हैं जिसका कोई विधिवत् विभाजन पक्षकारान के मध्य आज दिन तक नहीं हुआ हैं सभी सहखातेदार अपने अपने हिस्से अनुसार सुविधानुसार काश्त करते हैं । प्रतिवादीगण उक्त कृषि भूमि पर बिना बंटवाड़ा करवाये ही सड़कों का निर्माण कार्य करवाना शुरू किया तथा भूखण्डों के रूप में बेचान करना शुरू किया तब वादीनी ने प्रतिवादीगण को समझाईश की गयी बिना बंटवाड़ा करवाये किसी प्रकार के भूखण्ड नहीं बेचे जावें । इसके बावजूद भी प्रतिवादीगण नहीं माने तो वादीनी द्वारा अपने हिस्से की रकबा 02 बीघा भूमि का माप एवं सीमांकन हेतु यह बंटवाड़ा का वाद प्रस्तुत किया गया ।

यह वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये लेकिन बावजूद सूचना तामिल के भी उनकी तरफ से कोई हाजिर नहीं हुआ इसलिये प्रतिवादीगण का जवाबदावा बंद किया जाकर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी । वादीनी द्वारा साक्ष्य के रूप में अपना शपथपत्र प्रस्तुत किया गया । तत्पश्चात बहस सुनी जाकर वाद में प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाड़ा प्रस्ताव हेतु तहसीलदार लूणी को कमिश्नर नियुक्त किया गया । जिस पर तहसीलदार लूणी द्वारा जरिये कमांक/भूअ./2021/399 दिनांक 11.02.2021 को बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

प्रकरण में बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । बंटवाड़ा प्रस्ताव की मौका फर्द दिनांक 09.02.2021 अनुसार ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 388/1 कुल रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा भूमि के सहखातेदारों के रूबरू बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार किया गया जिसके अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव निम्न अनुसार हैं :–

क.सं.	खातेदार	रकबा(बीघा)	ख. नं0
01.	जगदीशसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह जाति राजपुरोहित, वगैरा	02 बीघा 12 बिस्वा	388/1
02.	किरण पत्नि प्रकाश, जाति माली सा. भदवासिया जोधपुर ।	02 बीघा	388/2
03.	सोहनी पत्नि दीपाराम, जाति जाट, सा. देह ।	03 बीघा 03 बिस्वा	388/3

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हैं तथा उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव की मौका फर्द में उपरोक्त हिस्से अनुसार

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

नजरी नक्शा भी मौके पर काबिज अनुसार तथा हिस्से अनुसार दर्शाया गया हैं ऐसी स्थिति में वादी का वाद बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता हैं ।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश पारित किया जाता हैं कि ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 388/1 कुल रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि के सम्बन्ध में बंटवाड़ा प्रस्ताव में दर्शाये गये हिस्से अनुसार वादी का वाद डिकी किया जाता हैं । बंटवाड़ा प्रस्ताव इस आदेश का अभिन्न अंग समझा जावेंगा । तहसीलदार लूणी वादी एवं प्रतिवादीगण के बंटवाड़ा प्रस्ताव में दर्शाये गये हिस्से अनुसार अलग अलग बटटा नं0 दर्ज करते हुए राजस्व रेकर्ड में आवश्यक इन्द्राज कर नक्शें में अलग अलग तरमीम दर्ज करें । तदनुसार डिकी पर्चा जारी हो ।

(गोपाल परिहार)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
आर.ए.एस.
लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

निर्णय आज दिनांक 26/7/2021 को बसरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफतर हो ।

(गोपाल परिहार)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
सत्यमेव जयते

डिकरी बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 73/2019

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
किरण पत्नि श्री प्रकाश, जाति माली, निवासी भदवासिया, तहसील व जिला जोधपुर ।		01. सोहनी पत्नि दीपारामजी, जाति जाट, निवासी ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 02. जगदीशसिंह पुत्र श्री मोहबतसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी ग्राम नन्दवान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 03. मूलाराम पुत्र श्री मोहनलाल, जाति दर्जी, निवासी ग्राम नन्दवान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 04. कसुम्बीदेवी पत्नि मदनलाल गहलोत, जाति माली, निवासी ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 05. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी । प्रफोर्मा पक्षकार 06. बबीता देवी पत्नि सत्यदेवसिंह, जाति राजपूत, निवासी दुबवलिया, गोपालगंज । 07. भंजयराम पुत्र श्री राधोराम, जाति राजबंसी, निवासी भोजपुर । 08. लीला पत्नि शेराराम, जाति जाट, निवासी के.के. कोलोनी, जोधपुर । 09. प्रियंका शर्मा पत्नि श्री भगवान सहाय, जाति ब्राहम्ण, निवासी जनता कॉलोनी, जोधपुर । 10. सर्तेंदरसिंह पुत्र श्री रंगलालसिंह, जाति राजपूत, निवासी बिहार । 11. कृष्णासिंह पुत्र श्री रामनरेशसिंह, जाति राजपुत, निवासी सिवाना बिहार । 12. संजय यादव पुत्र श्री शिशंकर, जाति यादव, निवासी बासनी सेकण्ड फेज, जोधपुर । 13. रीतादेवी पत्नि श्री भरत यादव, जाति यादव, निवासी बासनी सेकण्ड फेज, जोधपुर ।

दावा अंतर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 73/2019 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुदद्ई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि वादी एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी भूमि ग्राम सालावास, तहसील लूणी के खसरा संख्या 388/1 रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा का बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाता हैं । तहसीलदार लूणी बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार राजस्व रेकर्ड में आवश्यक इन्द्राज करें।

नीज.................................मुबलिक.................................बाबत.................................खर्चा इस मुकुदमें के मय सूद व वगैरह.................................फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक................................. ....को अदा करें।

बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 26/2/21 को जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

मुद्दाई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प			स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प		
वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक			बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी